

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

4231
NOTARY
DATE 3.5.24

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

75AE 764286

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

.....75-गाजीपुर..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से,
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

.....लोकसभा..... (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी
द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं, अफजाल अंसारी **पुत्र/पुत्री/पत्नी सुबहानुल्लाह अंसारी आयु 70 वर्ष, जो मुकान सं0-70, मुहल्ला- शेखटोला, यूसुफपुर, जमालपुर-2, पोस्ट मोहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर, उ0प्र0 पिन नं0 233227 (डाक का पूरा पता लिखें) का निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं समाजवादी पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (**जो लागू न हो उसे काट दें)
2. मेरा नाम, 72 बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 378-मोहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 128 के क्रम सं. 828 पर प्रविष्ट है।
3. मेरा/मेरे 9415020279 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएँ है/हैं और 786afzalansari@gmail.com मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं:-

- (i) www.facebook.com/AfzalAnsariMP
- (ii) www.twitter.com/afzalansarimp
- (iii) www.instagram/afzalansarighazipur



(Signature)

Tanjeeb Alam
(Advocate)
Reg. No.-UP0200798
Civil Court Mohammadaba
Distt-Ghazipur(U.P.)
13/05/24

4. स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पीएएन (स्थाई खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूप में)
1.	स्वयं : अफजाल अंसारी	ADGPA8277J	2022-23	(i)- वित्तीय वर्ष 2018-2019 आय रु 768879 + कृषि से आय रु 700000=1468879रु (ii)- वित्तीय वर्ष 2019-2020 आय रु 1188089+ कृषि से आय रु 700000=1888089रु (iii)- वित्तीय वर्ष 2020-2021 आय रु 668700 + कृषि से आय रु 700000 + एम.पी. भत्ता 1200000=2568700रु (iv)- वित्तीय वर्ष 2021-2022 आय रु 177800 + कृषि से आय रु 800000 + एम.पी. भत्ता 1053000 + एम.पी. सैलेरी 1170000=3200800रु (v)- वित्तीय वर्ष 2022-2023 आय रु 1400840 + एम.पी. भत्ता 1080000 =2480840रु
2.	पति या पत्नी : फरहत अंसारी	AIWPA4419K	2022-23	(i)- वित्तीय वर्ष 2018-2019 आय रु 376964 + कृषि से आय रु 300000=676964रु (ii)- वित्तीय वर्ष 2019-2020 आय रु 498620 + कृषि से आय रु 300000=798620रु (iii)- वित्तीय वर्ष 2020-2021 आय रु 216580 + कृषि से आय रु 245000=461580रु (iv)- वित्तीय वर्ष 2021-2022 आय रु 2245280 (v)- वित्तीय वर्ष 2022-2023 आय रु 2899660
3.	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है) शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i)- लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(ii)- लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iii)- लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iv)- लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(v)- लागू नहीं होता
4.	आश्रित - 1 शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i)- लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(ii)- लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iii)- लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iv)- लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(v)- लागू नहीं होता
5.	आश्रित-2 शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(ii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iv) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(v) लागू नहीं होता
6.	आश्रित-3 शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(ii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iv) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(v) लागू नहीं होता

टिप्पण : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा

और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"।

NAUSHAD HUSAIN KHAN
Arora M. Badli GZP
Regn No.-3126/05
(U.P.)
Exp. 19-09-2025

Tarjeeb Alam
(Advocate)
Reg. No.-UP02007/18
Civil Court Mohammadab.
Distt-Ghazipur(U.P.)
13/05/24

5. लंबित आपराधिक मामले


(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामले लंबित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं (लिखें)

या

✓ (ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित अपराधिक मामले लंबित हैं: (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरा दें)

सारणी


(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिहास रिपोर्ट सं.	थाना चकरघट्टा, जिला-चन्दौली, उ०प्र० अपराध सं०- 18/2014	थाना-मोहम्मदाबाद गोहना, जिला मऊ अपराध सं०- 609/2009	थाना मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर मु०अ०सं० 1052/2007	थाना भांवरकोल, जिला गाजीपुर, उ०प्र० इतिहास रिपोर्ट सं० 589/05	थाना मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर, उ०प्र० मु०अ०सं० 260/2001
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम.पी.एम.एल.ए. कोर्ट जिला चन्दौली अ०सं०- 18/2014 आपराधिक वाद सं० 1260/2015, UPCD04000241 2015,	न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मऊ मुकदमा नम्बर 4162 /2009 सरकार बनाम भरत राजभर आदि पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 10.05.2024 को नियत है।	इस मामले में न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट वाराणसी में मामला सं० 980/12, संज्ञान लेने का दिनांक- 15.09.2010, तत्पश्चात मुकदमें का परीक्षण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एम.पी. /एम.एल.ए. कोर्ट गाजीपुर में सम्पन्न हुआ।	मु०अ०सं०-589/2005 थाना भांवरकोल, गाजीपुर, वादी पक्ष की याचिका के आधार पर मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से इस घटना की अग्रिम विवेचना सी.बी.आई ने ग्रहण की और मा० सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार मुकदमें का ट्रायल दिल्ली में सम्पन्न हुआ। In the Court of SH. Arun Bhardwaj, ASJ/Special Judge (PC ACT), CBI-09, (MPs/MLAs Cases), ROUSE AVENUE COURT New Delhi. CC No.110/19 CNR No. DLCT110004942019. CBI Vs Azaz-ul-Haq and others Judgment Dated 03 July 2019 के द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध श्रीमती अलका राय एवं सी.बी.आई की अपील सं०-1178/2019 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दि० 16.01.2020 के द्वारा इनकी अपील को Due Course में सुनवाई हेतु लिस्ट करने को कहा है।	न्यायालय अपर सिविल जज जू०डि० मोहम्मदाबाद- गाजीपुर मामले का संज्ञान लेने का दिनांक- 12.08.2004, तत्पश्चात मामले का परीक्षण न्यायालय सी.जे.एम. /एम.पी. /एम.एल. ए. कोर्ट गाजीपुर में विचाराधीन है।
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा...)	अन्तर्गत धारा 171(ज) व 127(2) लोक प्रतिनिधित्व अधि० एवं 188 भा०द०सं० थाना चकरघट्टा, जनपद चन्दौली	अन्तर्गत धारा-171घ व 188 आईपीसी, चुनावी सभा के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है।	इस मामले में मु०अ०सं० 589/05 थाना-भांवरकोल गाजीपुर को आधार बनाकर गैंग चार्ट में दर्शाते हुए मु०अ०सं० 1052/07 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत मुकदमा मुहम्मदाबाद थाने में पंजीकृत कराया गया।	धारा- 147,148, 149, 307, 302, 404, 120बी, भा०द०वि० व 7 क्रि.लॉ.अमे.एक्ट,	धारा- 147/148/353/ भा०द०वि० 3पी.डी. पी एक्ट 7 क्रि.लॉ. अमे.एक्ट,



Handwritten signature

Tanjeeb Alam
(Advocate)
Reg. No.-UP02007/18
Civil Court Mohammadab.
Distt-Ghaziipur(U.P.)
13/05/24

(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	बिना अनुमति प्राप्त किये चुनावी सभा को सम्बोधित करने का आरोप है।	अन्तर्गत धारा-171च व 188 आईपीसी, चुनावी सभा के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है।	क्रम सं0-1 पर दर्शित मु0अ0सं0 589/05 थाना-भांवरकोल, जनपद गाजीपुर को आधार बनाकर गैंग चार्ट में दर्शाते हुए यू0पी0 रैजिस्टर एक्ट 1986 3(1) में मुकदमा अ0सं0-1052/200 7 थाना मोहम्मदाबाद में पंजीकृत किया गया।	दि0 29.11.2005 को बसनिया चट्टी के समीप थाना क्षेत्र भांवरकोल, जनपद गाजीपुर में तत्कालीन मा0 विधायक कृष्णानन्द राय के काफिले पर गोली-बारी की घटना हुई, जिसमें उनके सहित 7 व्यक्तियों की घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना की प्राथमिकी थाना भांवरकोल में पंजीकृत करायी गयी। पुलिस ने विवेचना के उपरान्त नामित अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की,	केन्द्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध पार्टी नेतृत्व के आहवाहन पर प्रदेश स्तरीय धरना/प्रदर्शन कार्यक्रम। के दौरान सरकारी कार्य में बाधा एवं तोड़-फोड़ की घटना में दस हजार मूल्य की क्षति का आरोप है।
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दि0 23.09.2022 को आरोप विरचित किया गया और निर्णय दि0 29.04.2023 के द्वारा 4 वर्ष साधारण कारावास एवं 1 लाख रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।	दिनांक 08.01.2007	दि0 22.08.2022 को धारा 147,353 भा0द0सं0, 3 पी.डी. पी.एक्ट व 7 सी. एलआर एक्ट
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में U/S 482 No. 47039 of 2023 विचाराधीन है। जिसमें माननीय न्यायालय ने सुनवाई हेतु दि0 30.07.2024 की तिथि निर्धारित करते हुए Till the Next date os listing, no crocive action shall be taken against the applicant in Criminal Case No. 1260 of 2015 Cas Crime No. 18 of 2014, Under Section 188 I.P.C. Police Station Chakarghatta, Chandauli	नहीं	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील सं0 5295/2023 दि0 12.05.2023 को दाखिल की गई। सुनवाई हेतु दि0 13.05.2024 की तिथि नियत है। नोट- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा The Appellant shall not be disqualified to contest future election(s) during the pendency of his criminal appeal before the High Court and if he is elected, such election will be subject to outcome of the First Criminal Appeal.	वादी पक्ष की याचिका के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से इस घटना की अग्रिम विवेचना सी.बी.आई ने ग्रहण की और मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार मुकदमें का ट्रायल एम.पी./एम.एल.ए. स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई राउज एवेन्सू नई दिल्ली के न्यायालय में सम्पन्न हुआ। न्यायालय ने अपने आदेश दि0 03.07.2019 के द्वारा दोषमुक्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध श्रीमती अलका राय एवं सी.बी.आई की अपील सं0-1178/2019 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दि0 16.01.2020 के द्वारा इनकी अपील को Due Course में सुनवाई हेतु लिस्ट करने को कहा है।	नहीं



Handwritten signature

Handwritten signature
Tanjeeb Alam
(Advocate)
Reg. No.-UP02007/18
Civil Court Mohammadabad
Distt-Ghaziपुर(U.P.)
13/05/24

6. दोषसिद्धि के मामले:-

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी अपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है, लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है:

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	मामला संख्या 980/2012,	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय का नाम	न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एम.पी./एम. एल.ए. कोर्ट गाजीपुर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा...)	धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है।	मु0अ0सं0-589/05 थाना भांवरकोल को आधार बनाकर मु0अ0सं0-1052/07 थाना मोहम्मदाबाद में धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पंजीकृत किया, इस केस के सत्र परीक्षण में निर्णय दि0 29.04.2023 द्वारा दोषसिद्ध किया गया। नोट:- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा The Appellant shall not be disqualified to contest future election(s) during the pendency of his criminal appeal before the High Court and if he is elected, such election will be subject to outcome of the First Criminal Appeal.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें	दि0 29.04.2023	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(च)	अधिरोपित दंड	4 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1 लाख रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	हाँ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रिमिनल अपील नं0-5295/23 दि0 12.05.2023, दाखिल है जिसकी सुनवाई हेतु दि0 13.05.2024 नियत है।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(6क)-

मैंने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थी को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

टिप्पण:


1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

(7)-

मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

मेरे जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Tajeeb Alam (Advocate)
Reg. No.-UP02007/18
Civil Court Mohamadabad
Distt-Ghaziipur(U.P.)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं- अफजाल अंसारी	पति या पत्नी- फरहत अंसारी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब- शून्य	आश्रित-1 शून्य	आश्रित-2 शून्य	आश्रित-3 शून्य
(vi)	मोटर यान वाहन/वायुयान/याच/पोत (सेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और रकम)	1-UP 32 BP 0786 टाटा सफारी (बी.पी) 2005, कीमत रु 3,00,000 2-एक इन्फ्लेटेबल रबड़ मोटर बोट वर्ष 2013 कीमत रु 1,00,000 3- एक ट्रैक्टर UP 61 M 9057, वर्ष 2016 कीमत रु 4,00,000	1. UP 32 FV 1256 ईको स्पोर्ट्स माडल-2014, कीमत रु 3,00,000 2. UP 61 AT 7845 टाटा पैट्रोल/डीजल ट्रैक्टर बी.एस-6 माडल-2021, कीमत रु 20,00,000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	1. अंगूठी दो अदद सोना वजन-15 ग्राम+डायमण्ड नग के साथ, कुर्ते का गोल्ड बटन-10 ग्राम वर्तमान मूल्य-3,50,000रु (a) आर्म्स लाईसेन्स सं0-1188, NP Bore राइफल नं0- 402927, वर्तमान मूल्य-1,75,000रु (b) आर्म्स लाईसेन्स सं0-1241, NP Bore पिस्टल नं0- 814711, वर्तमान मूल्य-5,00,000रु (c) आर्म्स लाईसेन्स सं0-1242, .22 Bore LR नं0- 1229591, वर्तमान मूल्य-2,00,000रु विदित हो कि उक्त तीनों लाईसेन्सी शस्त्र, जमानियों गन हाउस में जमा हैं और इन शस्त्रों के लाईसेन्स जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश दि0 03.05.2023 द्वारा निलंबित और निरस्त कर दिए गये हैं। उपरोक्त का कुल मूल्य, 12,25,000 रु	1. सोने की चूड़की छः अदद, सोने का कड़ा चार अदद, सोने का हार एक अदद, सोने की चैन तीन अदद, सोने की डायमण्ड रिंग तीन अदद, सोने में डायमण्ड का जड़ाउ टाप्ट तीन जोड़ा, सोने का टाप्ट पॉच अदद, सोने की गिन्नी दो अदद, कुल सोने का वजन- 380 ग्राम वर्तमान मूल्य-24,70,000रु 2. चांदी का सिकका एवं पायल वजन- 1.50 किलोग्राम वर्तमान मूल्य-1,20,000रु उपरोक्त का कुल मूल्य -25,90,000रु	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावो/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	सकल कुल मूल्य	रु 6797152.95	रु 14785072.56	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता


ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे-

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमी या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3 - ब्यौरे में अपटत आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।


क्र.सं.	विवरण	स्वयं- अफजाल अंसारी	पति या पत्नी- फरहत अंसारी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब- शून्य	आश्रित-1 शून्य	आश्रित-2 शून्य	आश्रित-3 शून्य	
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थिति या) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	जनपद गाजीपुर की तहसील मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत पैतृक सम्पत्ति का विवरण जो निम्नलिखित मौजों में निम्नलिखित आराजी नम्बरान के क्षेत्रफल जिसमें संयुक्त खातेदार की हैसियत है। सर्वेक्षण संख्या मय रकबा, 1. मौजा शकरपुर आ0नं0 67 रकबा 0.0170 हे0, आ0नं0 75 रकबा 1.2800 हे0, आ0नं0 120 रकबा 0.0640 हे0, आ0नं0 121 रकबा 0.4650 हे0, आ0नं0 124 रकबा 0.1180 हे0, आ0नं0 126 रकबा 0.0160 हे0, आ0नं0 131 रकबा 0.0080 हे0, आ0नं0 132 रकबा 0.0360 हे0, आ0नं0 129 रकबा 0.2030 हे0, 2. मौजा रानीपुर आ0नं0 181 रकबा 0.1450 हे0, आ0नं0 7/189 रकबा 0.0970 हे0, आ0नं0 131 रकबा 1.0570 हे0, आ0नं0 188 रकबा 1.0080 हे0,	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



Handwritten signature

Handwritten signature
Tanjeeb Alam
(Advocate)
Reg. No.-UP02007/18
Civil Court Mohammadaba.
Distt-Ghazipur(U.P.) 13/05/24


<p>3. मौजा केशवपुर आ0नं0 186 रकबा 0.1010 हे0, आ0नं0 184 रकबा 0.5750 हे0, आ0नं0 183 रकबा 0.2810 हे0</p> <p>4. मौजा शफापुर आ0नं0 46 रकबा 0.0850 हे0,</p> <p>5. मौजा चक खैरुल्लाह उर्फ कोटिया देहाती आ0नं0 8 रकबा 0.1910 हे0, आ0नं0 38 रकबा 0.0530 हे0, आ0नं0 112ख रकबा 0.0420 हे0, आ0नं0 145 रकबा 0.0250 हे0, आ0नं0 147 रकबा 0.1590 हे0, आ0नं0 146 रकबा 0.0080 हे0,</p> <p>6. मौजा चक खैरुल्लाह उर्फ कोटिया शहरी आ0नं0 108 रकबा 0.0850 हे0, आ0नं0 107 रकबा 0.1290 हे0, आ0नं0 68 रकबा 0.1490 हे0, आ0नं0 सं.108 रकबा 0.1680 हे0,</p> <p>7. मौजा काजीपुर सिराज देहाती आ0नं0 145 रकबा 0.0250 हे0, आ0नं0 147 रकबा 0.1590 हे0, आ0नं0 146 रकबा 0.0080 हे0,</p> <p>8. मौजा काजीपुर सिराज शहरी आ0नं0 572/2 रकबा 0.2490 हे0, आ0नं0 573 रकबा 0.2330 हे0, आ0नं0 154 रकबा 0.2020 हे0, आ0नं0 156/2 रकबा 0.1580 हे0, आ0नं0 601/1 रकबा 0.1480 हे0, आ0नं0 602/2 रकबा 1.0410 हे0, आ0नं0 602/2 रकबा 0.0210 हे0,</p> <p>9. मौजा कस्बा बुला शहरी आ0नं0 5/1 रकबा 0.0330 हे0, आ0नं0 4/3 रकबा 0.0320 हे0,</p> <p>10. मौजा चकयूसुफ आ0नं0 51 रकबा 0.3040 हे0, आ0नं0 52/1 रकबा 0.1310 हे0, आ0नं0 69 रकबा 0.1290 हे0, आ0नं0 39 रकबा 0.0410 हे0, आ0नं0 41 रकबा 0.0520 हे0, आ0नं0 42 रकबा 0.0640 हे0, आ0नं0 45 रकबा 0.0640 हे0, आ0नं0 49 रकबा 0.0440 हे0, आ0नं0 86/1 रकबा 0.4990 हे0, आ0नं0 38 रकबा 0.0430 हे0, आ0नं0 48 रकबा 0.0850 हे0, आ0नं0 37 रकबा 0.0410 हे0, आ0नं0 7/1 रकबा 0.1180 हे0,</p> <p>11. मौजा नुआंव, तहसील कासिमाबाद आ0नं0 387 रकबा 0.0130 हे0, आ0नं0 258 रकबा 0.3110 हे0, आ0नं0 389सं. रकबा 0.0200 हे0, आ0नं0 141 रकबा 0.1770 हे0, आ0नं0 149 रकबा 0.1360 हे0, आ0नं0 127/1 रकबा 0.0480 हे0,</p> <p>उपरोक्त पैतृक सम्पत्ति के संयुक्त खाते का कुल रकबा 10.7607 हे0 अर्थात (28.875 एकड़) है इसका तीसरा हिस्सा अर्थात (8.9583 एकड़) में से आधा हिस्सा स्व0 खुर्शुदुलहक अंसारी और आधा हमारे पिता स्व0 सुब्बानुल्लाह अंसारी का (4.4791 एकड़) है इसमें से हम तीन भाईयों में प्रत्येक का हिस्सा 1/3 (1.4930 एकड़) है।</p> <p>1.4930 एकड़ इस समय भूमि का अनुमानित मूल्य दो करोड़ रु0</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Tanjeeb Afam
(Advocate)
Reg. No. -UP02007/18
Civil Court Mohamadaba
Distt-Ghazipur(U.P.)
13/05/24

क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	<p>स्वर्जित संपत्ति का विवरण:-</p> <p>1. बिक्री विलेख दिनांक 29.01.2011 के माध्यम से तहसील मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के मौजा मांचा में स्थित कृषि भूमि आराजी नं० 142 व 159 में से रकबा 1.04133 हे० यानि 4-2-7 धूर क्रय किया। वर्तमान अनुमानित मूल्य दो करोड़ रु०</p> <p>2. बिक्री विलेख दिनांक 11.01.2017 के माध्यम से तहसील मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के मौजा धनेठा में आ०नं० 278 रकबा 0.336 हे०, आ०नं० 282 रकबा 0.298 हे०, आ०नं० 283 रकबा 0.263 हे०, आ०नं० 250 रकबा 0.865 हे०, आ०नं० 284 रकबा 0.396 हे०, आ०नं० 285 रकबा 0.514 हे०, आ०नं० 289 रकबा 0.611 हे०, आ०नं० 292 रकबा 0.432 हे०, आ०नं० 293 रकबा 0.214 हे०, आ०नं० 295 रकबा 0.394 हे० कुल 10 गाटा कुल रकबा 4.323 हे० व मौजा नरसिंहपुर में आ०नं० 12 रकबा 0.241 हे०, आ०नं० 14 रकबा 0.130 हे०, आ०नं० 15 रकबा 0.149 हे०, आ०नं० 16 रकबा 0.122 हे० कुल 4 गाटा कुल रकबा 0.642 हे० कृषि भूमि (बाग एवं खेत) कुल गाटा संख्या-14 रकबा-4.965 हे०) जिसमें अपना हिस्सा 1/4 रकबा 1.2412 हे० क्रय किया। वर्तमान अनुमानित मूल्य दो करोड़ रु०</p> <p>उपरोक्त संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा धारा 14(1) के अन्तर्गत पारित आदेश दि० 22.07.2022 के अनुसार कुर्क कर ली गई है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	<p>1. मौजा मांचा में क्रय की गई कृषि भूमि की स्टाम्प शुल्क अदा किया 86,000 रु०, प्रतिफल की धनराशि दिया 6,17,825 रु०, योग-7,03,825 रु०</p> <p>2. मौजा धनेठा एवं नरसिंहपुर में संयुक्त रूप से क्रय की गई कृषि भूमि का स्टाम्प शुल्क अदा किया 14,88,695 रु०, कुल प्रतिफल की धनराशि 78,60,000 रु० योग- 93,48,695 रु० उक्त रकम में से 1/4, 23,37,173.75 रु० अपने हिस्से की लागत हमने अदा किया था।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	<p>1. मौजा मांचा में सिंचाई हेतु बोरिंग, 7.5 के.वी. ए. समरसेबुल पम्प हाउस का निर्माण। अनुमानित व्यय-2,50,000 रु०</p> <p>2. मौजा धनेठा बाग में फार्म हाउस का निर्माण अनुमानित व्यय-3,25,000 रु०</p>	मांचा फार्म हाउस के निर्माण की लागत 5,00,000 रु०, यह सम्पत्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 14(1) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 05.08.2022के अनुपालन में कुर्क कर ली गई है। यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
अनुमानित मूल्य	इस समय अनुमानित मूल्य	इस समय अनुमानित मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
बाजार मूल्य	1. दो करोड़ रु० 2. दो करोड़ रु०	पैंतीस लाख रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii) गैर कृषि भूमि: (अवस्थिति या संख्या)	लागू नहीं होता	1. दिनांक 30.10.1998 को Perpetual Lease के माध्यम से डालीबाग- तिलक मार्ग बटलरगंज एक्सटेन्शन बंधा वार्ड हजरतगंज, लखनऊ में स्थित प्लॉट नं० 14बी डालीबाग (6,700 स्क्वायर फीट) आवासीय भूमि प्राप्त किया और वर्ष 2001 में अपना रिहायशी आवास	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता




Handwritten signature in blue ink.

Tanjeeb Alam
(Advocate)
Reg. No.-UP02007/18
Civil Court Mohammadat
Ghazipur (U.P.)

13/05/24

(संख्याए)		<p>बनाकर आबाद हो गई। आवास का कम्पाउण्डिंग मैप जो एप्लीकेशन नं० 28742/100936 फाइल नं० 36/ई.ई.बी.-1/एच.ए.जेड./2007 परमिट नं० 23524एल.डी.ए. से स्वीकृत है। 21/14 बी डालीबाग तिलकमार्ग, लखनऊ (उक्त आवास जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश से दि० 28.10.2022 को धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया और ताला बन्द करके सील कर दिया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।</p> <p>2. बिक्री विलेख दि० 10.12.2007 के माध्यम से मौजा नगरा तहसील रसड़ा, जनपद बलिया में आराजी नं० 1375 रकबा 256 वर्ग मी० क्रय किया।</p> <p>3. बिक्री विलेख दि० 20.11.2007 के माध्यम से मौजा सोहनपुर, पोस्ट कोटिल्हा, परगना व तहसील भाटपा रानी, जिला देवरिया में आ०नं० 99 रकबा 0.026 हे० क्रय किया।</p> <p>4. बिक्री विलेख दि० 08.11.2007 के माध्यम से मौजा इन्दूपुर, तहसील रुद्रपुर, जनपद देवरिया में आ०नं० 789 रकबा 0.024 हे० क्रय किया।</p> <p>5. बिक्री विलेख दि० 20.11.2007 के माध्यम से मौजा शिवधरिया, तहसील बरहज, जिला देवरिया आ०नं० 52 रकबा 3000 वर्ग फुट क्रय किया।</p> <p>6. किरायेदारी विलेख दि० 24.05.2016 के माध्यम से मौजा अहमदपट्टी-गोसपुर में स्थित आ०नं० 85 रकबा 0.1681 हे० भूमि IOCL के पेट्रोल पम्प हेतु पन्द्रह लाख रु० पेशगी/अमानत जमा करके प्राप्त किया। पेट्रोल पम्प जिला मजिस्ट्रेट के आदेश जो 14(1) के अन्तर्गत दि० 26.07.2023 को पारित किया गया, के अनुपालन में सील करके कुर्क कर दिया गया है। जिसका संचालन प्रशासक की हैसियत से तहसीलदार मोहम्मदाबाद द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।</p>					
क्षेत्रफल (वर्ग फुट में कुल माघ)	लागू नहीं होता	<ol style="list-style-type: none"> 6700 वर्ग फुट 3000 वर्ग फुट 2700 वर्ग फुट 2610 वर्ग फुट 2830 वर्ग फुट 18057 वर्ग फुट 	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	<ol style="list-style-type: none"> दि० 30.10.1998 दि० 10.12.2007 दि० 08.11.2007 दि० 08.11.2007 दि० 08.11.2007 दि० 24.05.2016 	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दर में)	लागू नहीं होता	<ol style="list-style-type: none"> 7,00,000 रु० 1,25,800 रु० 1,07,020 रु० 74,500 रु० 80,400 रु० 16,00,000 रु० <p>उपरोक्त छः का योग:-26,87,720 रु०</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
विकास संनिर्माण के क्षेत्रों में भूमि का विकास (उ.प.)	लागू नहीं होता	पन्द्रह लाख रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



Handwritten signature

Handwritten signature
Tanjeeb Alam
 (Advocate) 13/05/24
 Reg. No.-UP02007/18
 Civil Court Mohammadabad
 Distt-Ghazipur(U.P.)


	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं होता	1. नब्बे लाख रु0 2. आठ लाख रु0 3. पॉच लाख रु0 4. सात लाख रु0 5. दस लाख रु0 6. सोलह लाख रु0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) - अवस्थिति (अवस्थिति - सर्वेक्षण संख्याएँ)	1. मौजा कस्बा बुला शहरी की पैतृक भूमि में जो नगर पालिका मुहम्मदाबाद के गृह सूची में वार्ड नं0 8 यूसुफपुर बाजार दक्षिण पट्टी में स्थित भवन सं0-77 जो पैतृक व्यवसायिक दुकानों का (कटरा) है में से भवन सं0-77/1 मात्र 23 दर दुकानें एवं 2500 वर्ग फुट भूमि का प्लाट हमारे हिस्से वरासतन प्राप्त है। 2. मौजा चकयूसुफ की पैतृक भूमि में जो नगर पालिका की गृह सूची (2002) के अनुसार वार्ड नं0-17, भवन सं0-71 (सिनेमा रोड) पर स्थित. 9 दर व्यवसायिक दुकानें व प्रथम तल पर कार्यालय वरासतन प्राप्त है। 3. मौजा काजीपुर सिराज शहरी में पैतृक आवास यूसुफपुर फाटक से सटी हुई व्यवसायिक दुकानें जो नगर पालिका की गृह सूची में वार्ड नं0-8 शेखटोला के भवन सं0-84, में स्थित हैं, में से 2 दर दुकानें हमारे हिस्से वरासतन प्राप्त है।	1. नब्बे लाख रु0 2. आठ लाख रु0 3. पॉच लाख रु0 4. सात लाख रु0 5. दस लाख रु0 6. सोलह लाख रु0 उपरोक्त सातों का अनुमानित मूल्य:- एक करोड़ छत्तीस लाख रु0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1. 8400 वर्ग फुट 2. 1800 वर्ग फुट 3. 300 वर्ग फुट	400 वर्ग फीट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1. 3200 वर्ग फुट 2. 1800 वर्ग फुट 3. 300 वर्ग फुट	400 वर्ग फीट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	दि0 23.01.2013	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	रु0 6,50,000 मात्र	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	इस समय निम्न तीनों सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य, 1. रु0 चार करोड़ पच्चास लाख, 2. रु0 एक करोड़ नब्बे लाख 3. रु0 पच्चास लाख योग- छः करोड़ नब्बे लाख रु0	रु0 पच्चास लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) - अवस्थिति (अवस्थिति - सर्वेक्षण संख्याएँ)	1. मौजा काजीपुर सिराज शहरी में पैतृक आवास यूसुफपुर फाटक का दक्षिणी भाग, मेरा रिहायशी आवास है, जो नगर पालिका मोहम्मदाबाद के वार्ड नं0 8 शेखटोला की गृह सूची में भवन सं0-82 के रूप में दर्ज है। इस समय अनुमानित मूल्य दो करोड़ रु0 2. Central Secretariat Services Officers Society Regd. No- S.E/784/Distt. South-East New Delhi-01 मेम्बरशिप नं0 CSSOS/ OE/586 से बुक किये गये प्लॉट की लैंड का मूल्य विभिन्न किश्तों में	1. रिहायशी आवास 21/14 बी डालीबाग तिलकमार्ग, लखनऊ 226001 का कम्पाउण्डिंग मैप जो एप्लीकेशन नं0 28742/100936 फाइल नं0 36/ई.ई.बी. -1/एच.ए.जेड./2007 परमिट नं0 23524 एल.डी.ए. ने शमन शुल्क जमा कराकर मानचित्र स्वीकृत किया है। इस समय अनुमानित मूल्य पच्चास लाख रु0 उक्त आवास जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

NOTARY
NAME
NAUSHAD HUSAIN KHAN
Area-M.Bad. (सर्वेक्षण संख्या)
Regn No.-3126/G5
(U.P.)
Exp. 19-09-2025

Handwritten signature

Tanjeeb Alam
(Advocate)
Reg. No.-UP02097/18
Civil Court Mohammedi
(U.P.)
13/05/24

	अग्रिम भुगतान किया रु0 29,74,984 इस समय अनुमानित मूल्य पच्चास लाख रु0	के आदेश से दि0 28.10.2022 को धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया और ताला बन्द करके सील कर दिया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	4000 वर्ग फुट	6,700 वर्ग फीट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित (वर्ग फुट में कुल माप)	3000 वर्ग फुट	2,700 वर्ग फीट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	दि0 31.10.1998	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	रु0 सात लाख पच्चास हजार	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	पॉच लाख रु0	पन्द्रह लाख रु0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	इस समय अनुमानित मूल्य रु0 दो करोड़ पच्चास लाख	रु0 एक करोड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	1. पैतृक कृषि भूमि अनुमानित मूल्य दो करोड़ 2. स्वजित कृषि भूमि मौजा मांचा अनुमानित मूल्य दो करोड़ रु0 3. स्वजित कृषि भूमि मौजा धनेठा व नरसिंहपुर अनुमानित मूल्य दो करोड़ रु0 4. पैतृक वाणिज्य 23 दुकानें एवं भूमि चार करोड़ पच्चास लाख रु0 5. पैतृक वाणिज्य 9 दुकानें अनुमानित मूल्य एक करोड़ नब्बे लाख रु0 6. पैतृक वाणिज्य 2 दुकानें अनुमानित मूल्य पच्चास लाख रु0 7. रिहायशी घर अनुमानित मूल्य दो करोड़ रु0 कुल योग:- 15,40,00,000 रु0	3,21,00,000 रु0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



Handwritten signature

Handwritten signature
Tarjeeb Alam
 (Advocate) 13/05/24
 Reg. No.-UP02007/18
 Civil Court Mohammadabad
 Distt-Ghazipur(U.P.)

8. मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-
(टिप्पण : कृपया बैंक संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं- अफजाल अंसासी	पति या पत्नी- फरहत अंसासी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब- शून्य	आश्रित-1 शून्य	आश्रित-2 शून्य	आश्रित-3 शून्य
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से सम्बन्धित विभागों को शोध्य	क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पीछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आवास के अधिभोग में है ? हाँ, दि 28.05.2023 तक ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां में है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें:- (i) सरकारी आवास का पता:22 जनपथ नई दिल्ली-110001..... (ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मद्दे कोई शोध संदेय नहीं है- (क) भाटक: शून्य (ख) विद्युत प्रभार: शून्य (ग) जल प्रभार और शून्य (घ) ...शून्य... तारीख को टेलीफोन प्रभार [तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात की कोई तारीख होनी चाहिए) टिप्पण-उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल और टेलिफोन प्रभार की बाबत सम्बन्धित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।					हां/नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं) बेबाकी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
(iii)	सरकारी परिवहन से सम्बन्धित विभाग को शोध्य (जिसके अन्तर्गत वायुयान और हेलिकॉप्टर भी है।)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv)	आयकर शोध्य	स्वयं	पति/पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(v)	जीएसटी शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	नगर पालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादप्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्लित रकम का और प्राधिकारी का, जिन्हें समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



Handwritten signature

Handwritten signature
Tanjeeb Alam
(Advocate) 13/05/24
Reg. No.-UP02007/18
Civil Court Mohamadabad
U.P.

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं-

पेंशन, रेंट इनकम और कृषि आय।

(ख) पति या पत्नी-

डिजाइनिंग, द्यूशन और रेंट इनकम।

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे-

(क) स्वयं- अफजाल अंसारी, हमें लोकसभा एवं उOप्रO विधान सभा से प्राप्त होने वाली पेंशन के अतिरिक्त यूसुफपुर मार्केट की अपनी दुकानों से किराया मिलता है और हमें खेती से भी कृषि आय प्राप्त होती है।

(ख) पति या पत्नी- फरहत अंसारी को बच्चों के द्यूशन क्लास से फीस मिलती है और कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई व डिजाइनिंग के काम से इनकम होती है इसके अतिरिक्त उनकी भूमि में स्थापित मोबाइल टावर से किराया प्राप्त होता है। इनको आई.ओ.सी.एल.द्वारा रिटेल आउटलेट की प्राप्त डीलरशिप जिसके माध्यम से किसान पेट्रोल पम्प अहमदपदटी-गौसपुर की प्रोपराइटर हैं। यह पेट्रोल पम्प इस समय जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा धारा 14(1) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 के अनुपालन में कुर्क करके सील कर दिया गया। यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(ग) आश्रित के आय के स्रोत (यदि कोई हो तो)-लागू नहीं होता.....

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं-

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरेलागू नहीं होता.....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे- IOCL से फुटकर डीजल/पेट्रोल की बिक्री हेतु रिटेल आउटलेट की डीलरशिप प्राप्त है (किसान पेट्रोल पम्प) एन.एच-31 पर अहमदपदटी, गाजीपुर में स्थित है।

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरेलागू नहीं होता.....

(घ) हिन्दू अविभक्त कुटुंब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है,द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे-लागू नहीं होता.....


(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गयी संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार है,लागू नहीं होता.....

(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा है,लागू नहीं होता.....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

एम0ए0 (इतिहास) वर्ष 1978, स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर जो तत्समय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। यह विद्यालय इस समय पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध है।

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)




(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)
Tanjeeb Alam
(Advocate)
Reg. No.-UP02007/18
Civil Court Mohammadab
Ghaziipur(U.P.)
13/05/24

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1.	अभ्यर्थी का नाम		श्री/ श्रीमती/ कु. अफजाल अंसारी				
2.	डाक का पूरा पता		मकान सं-70, मुहल्ला-शेखटोला, यूसुफपुर, जमालपुर-2, पोस्ट मोहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर पिन: 233227, उ०प्र०।				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		72, बलिया संसदीय क्षेत्र में समाविष्ट 378-मोहम्मदाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उ०प्र०।				
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)		समाजवादी पार्टी				
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या		05				
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।		01				
7.		स्थायी लेखा सं. (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है		कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी : अफजाल अंसारी	ADGPA8277J	2022-2023		वित्तीय वर्ष 2022-2023 24,80,840 रु०		
	(ख) पति या पत्नी : फरहत अंसारी	AIWPA4419K	2022-2023		वित्तीय वर्ष 2022-2023 28,99,660 रु०		
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।		
	(घ) आश्रित	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।		
8.	आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपों में ब्यौरे-						
	विवरण	स्वयं अफजाल अंसारी	पति या पत्नी फरहत अंसारी	हिंदू अविभक्त कुटुंब - शून्य	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	6797152.95 / -रु०	14785072.56 / -रु०	लागू नहीं होता	शून्य लागू नहीं होता	शून्य लागू नहीं होता	शून्य लागू नहीं होता
ख.	स्थावर आस्तियां-	1. विरासत में प्राप्त पैतृक कृषि भूमि 1.493 हे० 2. स्वयं अर्जित भूमि 2.122 हे० योग-3.615 हे० 3. विरासत में प्राप्त वाणिज्यिक 34 दर दुकानें 4. रिहायशी आवास 1 अदद 5. CSSOS/ OE/586 से बुक किये गये प्लैट	1. आवासीय प्लॉट 14 बी.डालीवाग लखनऊ 6700 वर्ग फुट। 2. वाणिज्यिक दो दर खण्डहर दुकान लखनऊ 400 वर्ग फुट। 3. मोबाइल टावर हेतु देवरिया व बलिया में क्रय की गई 4 भूमि कुल रकबा 0.0115 हे०। 4. मांचा फार्म हाउस 0.150 हे०। 5. पेट्रोलपम्प हेतु अहमदपट्टी में लीज भूमि रकबा 0.168 हे०। 6. CSSOS/ OE/586 से बुक किये गये प्लैट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	तीस लाख पचपन हजार सात सौ अठानवे रु०	तीस लाख तैतालीस हजार रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	पाँच लाख पचहत्तर हजार रु० मांचा में बोरिंग 7.5 के.वी.ए. का समरसेबुल पम्प व पम्प हाउस एवं धनेठा में फार्म हाउस के निर्माण में खर्च।	बीस लाख रु० लखनऊ में आवास एवं मांचा में फार्म हाउस के निर्माण में खर्च	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत-	चार करोड़ रु०	तीन करोड़ इक्कीस लाख रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	ग्यारह करोड़ चालीस लाख रु०	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	पन्द्रह करोड़ चालीस लाख रु०	तीन करोड़ इक्कीस लाख रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	दायित्व	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	सरकारी ऋण	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	वित्तीय	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं						
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.		उच्चतम शैक्षणिक अर्हता: एम0ए0 (इतिहास) वर्ष 1978, स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर जो तत्समय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। यह विद्यालय इस समय पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध है। (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)						


सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हू कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME 13/05/24

NAUSHAD HUSAIN KHAN
Advocate
"NOTARY" Govt. of India
Regd. No.- 3126/05
Civil Court Mohammadabad
Ghazipur (U.P.)-233227



Serial No. 4231
the deponent Ajeet Kumar
S/o Sushant Kumar Distt. M.P.
P.O. M.P. Distt. M.P.
Identified by Sri Tanjeeb Alam
Solemnly affirm before me on 13.05.24
..... AM/PM between
in the C.C. Compound -M.Bad., GHAZIPUR
The contents the affidavit were read over
and explained who admitted to be true

Tanjeeb Alam
(Advocate)
Reg. No.-UP02007/18
Civil Court Mohammadabad
Distt-Ghazipur(U.P.)

आज तारीख 13-05-2024 को सत्यापित किया गया।

HSK

अभिसाक्षी

- टिप्पण : 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को अपराहन 3:00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण : 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।

HSK

Tanjeeb Alam
(Advocate)
Reg. No.-UP02007/18
Civil Court Mohammadabad
Distt-Ghazipur(U.P.)